उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-24/2018/263/92-2-2018-61(जांच)/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 02 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी में तैनाती के दौरान डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों में आन्तरिक सी0सी0 सडकों के निर्माण कार्य एवं धन आवंटन के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी की ओर से हस्ताक्षर कर आख्या/सूचना निदेशालय को प्रेषित करने के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-158/2017/1310/92-2-17-61(जांच)/2017, दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी सम्प्रति पी0आई0यू0 बांदा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी सम्प्रति पी0आई0यू0 बांदा को ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2434/92-1-2017-75(अधि0)/2015, दिनांक 12.10.2017 द्वारा दी गयी अनिवार्य सेवानिवृत्त के दृष्टिगत संगत नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-24/2018/263(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जांचअधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।

3- श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in